मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2010/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - दिनांक 1-1-2006 के पूर्व एवं 1-1-06 या पश्चात यू.जी.सी. वेतनमान में सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों / परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन / परिवार पेंशन का समेकन

संदर्भ - मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ -9/2/2009/नियम/चार(भाग-1), एवं (भाग-2) दिनांक 3 अगस्त 2009 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 9 मार्च 2010

--***--

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के प्रभावशील होने के परिणामस्वरूप संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं । यह प्रश्न समक्ष में आया है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षक / अधिकारी जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान दिया गया है का पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन के लिये भी क्या उपर्युक्त निर्देश लागू होगें ।

2/ यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त कर रहे ऊपर वर्णित श्रेणी के शिक्षक/ अधिकारियों के पेंशन परिलाभों का दायित्व राज्य शासन का ही रहता है । अतः राज्य शासन ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी निर्देश पेंशन निर्धारण, पुनरीक्षण एवं समेकन के लिये ऊपर वर्णित यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षक/ अधिकारी पर भी लागू होगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-3/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग